

करवाई जाना पत्रावली दिनांक 13/06/24
को पेश की। 6/11

13/06/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर नहीं
है। वादी का वाद आर्डर 9 R 3 जा. सी. में
एतद द्वारा खारिज किया जा चुका है।
अब न.प्र. प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य
शेष नहीं रह जाना है। इत्सालिय प्रार्थना
का प्रा.पत्र 9 R 3 जा. सी. में खारिज
किया जाना है। पत्रावली फ़ैसल शुमार
होका दर्ज नम्बर से कहें। आदेश
स्वले न्यायालय में सुनाया गया। 6/11 ✓

उपरखण्ड अधिकारी
मौभर लेक

